







Form No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ
स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूंगरगढ बनाम राजीव व्यास पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण (व्यास)
निवासी सरदारशहर जिला चूरु

राजस्व वाद मुकदमा मुकदमा नम्बर 16 /2020 U/S 177 RTA
हुकम या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज





तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
7.2.2020	<p>आज यह वाद स्टेट जरिये तहसीलदार ने किया । वाद दर्ज रजिस्टर हों । प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11.3.2020 को पेश हों ।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ</p>	
11/03/2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील फरीकेन उपस्थित। हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते ...d.M.A..... आईन्दा दिनांक 01.07.2020 को पेश हो।</p>	
10.7.2020	<p>दि. 14.4.20 को लॉक डाउन होने के कारण आज पत्रावली पेश हुई। आज वार सभ द्वारा काय स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते आईन्दा दिनांक 18.8.2020 को पेश हों।</p>	
18/8/2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील फरीकेन उपस्थित। हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते आईन्दा दिनांक 22.09.2020 को पेश हो।</p>	
22.9.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। उम्मेद पदा उपरिमत प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार पारील के उपरिमत दोष लव अलतनाम व लवकास उपरिमत विमा जो शामिल पत्रावली विमा उम्मा। पत्रावली वास्ते आईन्दा दिनांक 20.10.2020 को पेश हो।</p>	
20.10.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील फरीकेन उपस्थित। हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते आईन्दा दिनांक 11.11.2020 को पेश हो।</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.12.2010	P.O. No. पुत्रावली पेश हुई करीब करीब करीब उपस्थित समय दिया जा आईन्दा दिनांक 22.1.2021 को पेश हो। 
22.1.2021	पुत्रावली पेश हुई करीब करीब करीब उपस्थित समय वाहात समस दिया जाकर पुत्रावली पास्ते आईन्दा दिनांक 5.3.2021 को पेश हो। 
5.3.2021	पुत्रावली पेश हुई उमम पत्र उपस्थित। पुत्रावली वाहेत दिनांक 12.4.2021 को पेश हो। 
12.4.2021	पुत्रावली पेश हुई गया है। पुत्रावली वाहेत आईन्दा दिनांक 13.5.2021 को पेश हो। 
10.5.21	पुत्रावली आज उपस्थित पुत्रावली वाहेत आईन्दा दिनांक 7.6.21 को पेश हो। 
7.6.21	पुत्रावली पेश हुई उमम पत्र उपस्थित। पुत्रावली वाहेत आईन्दा दिनांक 11.6.2021 को पेश हो। 

Form No. III


फर्द अहकाम

ज अदालत मुकाम
 बस् मुकदमा बनाम
 नं. सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण मय इन्शियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
1.6.2021	पञ्जावली पेशा दुई उमय पय उपरिन्त / पञ्जावली वारन्त नान्नीएत आइन्दा दिनांक 7.7.2021 को पेशा हो 	
7.7.2021	पञ्जावली पेशा दुई उमय पय उपरिन्त / पञ्जावली वारन्त नान्नीएत आइन्दा दिनांक 18.8.21 को पेशा हो 	
18.8.21	पञ्जावली पेशा दुई उमय पय उपरिन्त नान्नी कापत को गि / पञ्जावली वारन्त सोप वयो आइन्दा दिनांक 2.9.2021 को पेशा हो 	
2.9.2021	पञ्जावली पेशा दुई / वयो उपरिन्त / श्रीराजुराम कोता आदिन्ता दुई वकालतनामा भम पार्थनाप भन्तर्ति भयोरा 07 निमम 11 व भयोरा 01 तिप 03, मयकि, चारा / जारिन्दिन उन्निम 10 दिता 1908 का उन्निम दिनामा पितको एक उति वयो को दिन्तर्ति गि / पञ्जावली वारन्त जवाब पार्थना पर आइन्दा दिनांक 03.9.2021 को पेशा हो 	

03.09.2021

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। पैरोकार राज द्वारा निवेदन किया गया कि वर्तमान में मूल खसरा संख्या 641 तादादी 3.39 है रोही मौजा टुकरियासर मौके पर खाली है, यह कि वादगत भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है व अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया हुआ है। यह उक्त दावा छोटे-छोटे प्लॉट्स काटने व बनाने पर प्रस्तुत किया गया था, जो वर्तमान में मौके पर प्लॉट्स आदि नहीं है। वादगत भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार मूल खसरा 641 का विभाजन होकर क्रमशः 1621/641 तादादी 0.97 है, 1622/641 तादादी 0.2530 है, खसरा नम्बर 1623/641 तादादी 0.97 है, तादादी 1624/641 तादादी 0.2270 है एवं खसरा नम्बर 1625/641 तादादी 0.97 है, कायम हुए हैं। जिसमें खसरा नम्बर 1624/241 तादादी .2270 है। का खातेदार बीरबलराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी टुकरियासर रिकार्ड दर्ज है। यह कि उक्त वादगत भूमि में से प्रार्थी खातेदार बीरबलराम पुत्र पुरखाराम ने भूमि खरीद की है। यह कि वादगत भूमि वर्तमान में मौके पर साफ व खाली है। दावा प्रस्तुत करते समय कि वादगत भूमि अनुसार प्लॉटींग आदि का कार्य करने पर दायर किया गया था। वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति की है एवं प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही आगे कार्यवाही जारी रखने का कथन किया है एवं ना ही वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई आपत्ति की है। लिहाजा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व आदेश 01 नियम 03, सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमीलपूर्ति दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इलजास सुनाया गया।



(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीझुंगरगढ